

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : रामसमुझ एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : ग्राम-रहीम नगर डिडीली वार्ड/परगना-फैजुल्लाहाज, जिला व तह 10 लखनऊ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य

1. वे व्यक्ति जो संस्था को 1000/- रुपये धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य सदस्य

2. वे व्यक्ति जो संस्था को 100/- रुपये सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।
3. निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता जनाप्ति समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।

2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
 4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग-पत्र प्राप्त होने पर।
 5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
 6. जागातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
 7. नेतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

6. संस्था के अंग

7. साधारण सभा

(क) गठन

उग्रा निवारी

(ख) बैठकें

(ग) सूचना अवधि

सत्य लिखित

प्रधान सहायक
प्रायोलय डिटी रजिस्टर
फॉर्म सोसाइटीज तथा विट्रस
प्रायोलय डिटी रजिस्टर

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों यूपी०सी० या सोसाइटी रजिस्टर पर लिखित रूप से दी जायेगी।

कोषाध्यक्षः—

- संस्था के आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
 - संस्था आय-व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
 - संधिव/प्रबन्धक के आदेशानुसार समस्त धन किसी नाम्यता प्राप्त वेक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना।

विनियमों में संस्पेल -

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

साधारण समा के दो तिहाई बहुमत से संसद्या के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संसोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष:-

किसी भी बैंक या पोस्ट अफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन सधिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. संस्था का अधिकारी

विरुद्ध अदालती व्यवस्था : उत्तरदायिक :-
संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के सचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायिक संचिव/प्रबन्धक पर होगा।

14. सीर्स्या के अभिलेखः—

संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।

- कार्यवाही रजिस्टर
 - सदस्यता रजिस्टर
 - स्टाक रजिस्टर
 - केश वूक आदि

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

અનુભૂતિ

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

गोदावरी

~~वार्ता विवाद~~

३३१ अगस्ती

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
विदेशी राजस्वार
कमी अधिकारी राजा लिल
2008-19

- १० संस्था के सियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—
- संस्था के आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
 - संस्था आय-व्यय के वापिक रिपोर्ट को तैयार करना।
 - सचिव/प्रबन्धक के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट अफिस में जमा करना।

(3)

- संस्था के लिये दान, अनुदान, घन्दे आदि प्राप्त करना।
- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कापित करना।
- संस्था के लिये चल अथल सम्पत्ति को प्राप्त करना।
- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

(४) कार्यकाल :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से ५ वर्ष का होगा।

९. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्षः—

- साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत दान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
- बैठक करने के लिये सचिव/प्रबन्धक के राय से दिनांको का अनुमोदन करेगा।
- संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्षः—

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त जिहिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

सचिव/प्रबन्धक अध्यक्ष बैठक बुलाना

राजेश नंदा

गुडिपा

किशन तिवारी

उमा तिवारी

संयुक्त सचिव प्रतिलिपि

- 
- संस्था के लिये दान अनुदान घन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीद देना।
 - आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
 - बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाये देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
 - संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
 - वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
 - वैतनिक कर्मचारियों के विलद अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
 - संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
 - अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
 - संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।
- सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में सचिव/प्रबन्धक द्वारा सौपे गये कार्यों को पूरा करना जो नियमानुसार मान्य होगा।